अध्याय I: भूमिका

1.1 आयुध उपस्कर समूह की फैक्ट्रियाँ

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) कोलकाता, रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) के अधीन, रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, जिसका प्रधान, चेयरमैन, ओ.एफ.बी. महा निदेशक आयुध फैक्टियाँ (डी.जी.ओ.एफ.) होता है। पाँच प्रचालन आधारित समूहों में वर्गीकृत आयुध फैक्ट्रियों की कुल संख्या 39 है, जिसमें से आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह (ओ.ई.एफ.जी.), सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु[1] सामान्य भण्डारों एवं वस्त्रादि (जी.एस.एण्ड सी.) के उत्पादन में संलग्न है। पाँच फैक्ट्रियाँ जैसे आयुध उपस्कर फैक्ट्री कानपुर (ओ.ई.एफ.सी.), आयुध पैराशूट फैक्ट्री कानपुर (ओ.पी.एफ.), आयुध वस्त्र फैक्ट्री शाहजहाँपुर (ओ.सी.एफ.एस.), आयुध वस्त्र फैक्ट्री अवाडी (ओ.सी.एफ.ए.) एवं आयुध उपस्कर फैक्ट्री हजरतपुर (ओ.ई.एफ.एच) को मिलाकर इस समूह का गठन हुआ है। ये फैक्ट्रियाँ, अर्द्ध सैनिक बलों, अन्य सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी माँग-कर्ताओं तथा सह-फैक्ट्रियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है।

वर्ष 2008-12 के दौरान सामान्य भण्डारों एवं वस्त्रादिक मदों का निर्गम प्रतिशत, थल सेना के लिए 77.36 प्रतिशत, वायु-सेना के लिए 13.85 प्रतिशत एवं नौ-सेना के लिए 1.71 प्रतिशत था। अर्द्ध सैनिक बलों के लिए निर्गम की मात्रा लगभग नगण्य 0.97 प्रतिशत थी, जबकि शेष निर्गम अन्य संस्थानों को किया गया।

1.2 संगठनात्मक संरचना

ओ.ई.एफ.जी. का प्रधान, अपर डी.जी.ओ.एफ. कानपुर है, जो कि ओ.एफ.बी. के अधीन कार्य करता है। एम.ओ.डी. एवं सेंवाओं के साथ नियमित वार्ता एवं समन्वय के अतिरिक्त, ओ.एफ.बी. एवं ओ.ई.एफ. मुख्यालय, ओ.ई.एफ.जी.के नीति निर्माण, उत्पादन, नियोजन, पर्यवेक्षण एवं कार्य कलापों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।

फैक्ट्रियों के प्रधान वरिष्ठ महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक (जी.एम.) होतें हैं, जिन्हें फैक्ट्रियों के रोजमर्रा के कार्यो में, अपर महाप्रबंधक /संयुक्त महाप्रबंधक से सहयोग प्राप्त होता है ।

[1] थल-सेना, नौ सेना एवं वायु-सेना

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डी.जी.क्यू.ए.), जो कि ओ.एफ.बी. से स्वतंत्र संस्था है, वह सेवाओं के लिए निर्गमित होने वाले उत्पादों के गुणवत्ता आश्वासन हेतु उत्तरदायी है। डी.जी.क्यू.ए. अपने कर्तव्यों का निर्वहन, सी.क्यू.ए. कानपुर में अवस्थित दो गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालयों, जिसमें से एक वस्त्रादिक (टी.एंड सी.) से एवं दूसरा सामान्य भण्डारों (जी.एस.) से संबंधित होते हैं। सम्बन्धित गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालयों (सी.क्यू.ए.) के अधीन, प्रत्येक फैक्ट्री में वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन संस्थापनाएं (एस.क्यू.ए.ई.) तैनात है।

महानिदेशक, रक्षा लेखा, नई दिल्ली के अधीन, प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (फैक्ट्रियाँ) कोलकाता (पी.सी.ए (एफ)) लागत लेखांकन, वार्षिक लेखाओं के संकलन एवं वित्तीय परामर्श कार्य, प्रत्येक फैक्ट्रियों में संलग्न लेखा कार्यालयों के माध्यम से करते हैं।

1.3 उत्पाद प्रोफाइल एवं उत्पादन लागत

2008-12 की अवधि का, फैक्ट्री-वार उत्पाद प्रोफाइल, उत्पादन लागत, निर्गम मूल्य एवं लाभ/हानि का विवरण तालिका-1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1: मुख्य उत्पाद, उत्पाद लागत एवं निर्गम मूल्य

(₹ करोड़ में)

फैक्ट्री (स्थापना वर्ष)	मुख्य उत्पाद	वर्ष	उत्पादन लागत	निर्गम मूल्य	लाभ (+)/ हानि(-)[2]
ओ.ई.एफ.सी. (1862) कानपुर	टेंट, बूट, मच्छरदानी, शयन बैग/किट, दस्ताने चिहाकंन फीते (ट्रेसिंग टेप) जलरोधी आच्छादन (वाटर प्रूफ कवर) चटाइयां, स्पेस आयल व वर्निग हीटर, ग्राउन्ड शीट आदि	2008-09	265.70	264.71	2.17
		2009-10	256.34	228.92	(-)26.43
		2010-11	318.40	290.56	(-)26.00
		2011-12	288.00	243.19	(-)42.84
		योग	**1128.44**	**1027.38**	**(-)93.10**
ओ.सी.एफ.एस. (1914) शाहजहांपुर	शर्ट, ट्राउजर, जर्सी, कोट, सूट, कम्बल, टोपी ओवर आल, मोजे, मर्दाना पारका आदि	2008-09	156.64	143.03	(-)13.90
		2009-10	142.47	94.94	(-)46.93
		2010-11	237.32	199.41	(-)37.67
		2011-12	297.06	261.80	(-)22.22
		योग	**833.49**	**699.18**	**(-)120.72**
ओ.सी.एफ.ए. (1961) अवडि	ट्राउजर, जैकेट, शर्ट, पैराशूट, शर्टस, ओवरआल, कोट, टोपी आदि	2008-09	103.93	88.26	(-)14.21
		2009-10	115.18	107.26	(-)7.76
		2010-11	127.69	122.45	(-)5.15
		2011-12	165.07	157.27	(-)7.89
		योग	**511.87**	**475.24**	**(-)35.01**

[2] आयुध फैक्ट्रियों द्वारा संगणित लाभ/ हानि

फैक्ट्री (स्थापना वर्ष)	मुख्य उत्पाद	वर्ष	उत्पादन लागत	निर्गम मूल्य	लाभ (+)/ हानि(-)[2]
ओ.पी.एफ. (1941) कानपुर	पैराशूट, (आपूर्ति ड्राप/ब्रेक) शर्ट, ट्राउजर, मोजे, कोट, टेंट, पान्चो ग्लेशियर, पी.टी.ए. (एम) एन.बी.सी., सूट आदि ।	2008-09 2009-10 2010-11 2011-12	99.90 115.84 118.29 151.51	101.08 118.54 114.24 138.59	1.16 2.76 (-)4.09 (-)13.11
		योग	**485.54**	**472.45**	**(-)13.28**
ओ.ई.एफ.एच (1985) हजरतपुर	ट्राउजर, जैकेट, बर्फीले जैकेट, टेंट, कोट, मच्छरदानी, बैग, किट, पैराशूट, मल्टीपल, इलेमेन्ट नेट असेम्बली (एम.ई.एन.ए.) आदि ।	2008-09 2009-10 2010-11 2011-12	33.38 39.16 53.38 59.53	36.82 45.00 66.04 73.86	3.16 5.84 12.97 14.05
		योग	**185.45**	**221.72**	**36.02**
		महा योग	**3144.79**	**2895.97**	**(-)226.09**

(स्रोतः ओ.एफ.बी. का वार्षिक प्रतिवेदन एवं ओ.एफ. संगठन के वार्षिक लेखे)

आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह को, वर्ष 2008-12 के दौरान ₹ 226.09 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई भारत की समेकित निधि (सी.एफ.आई.) से करनी पड़ी जिसे आगे के अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

1.4 बजट अनुमान एवं वास्तविक आय/व्यय

आयुध उपस्कर फैक्ट्री समूह का, वर्ष 2008-09 से 2011-12 का अनुमानित एवं वास्तविक व्यय तथा आय का विवरण तालिका-2 में प्रदर्शित है।

तालिका-2: ओ.ई.एफ.जी. का प्राक्कलित बजट एवं वास्तविक व्यय/आय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय			आय			शुद्ध बजटीय समर्थन (वास्तविक) (₹)
	बजट प्राक्कलन (₹)	वास्तविक (₹)	भिन्नता (प्रतिशत)	बजट प्राक्कलन (₹)	वास्तविक (₹)	भिन्नता (प्रतिशत)	
1	2	3	*4*	5	6	*7*	8(3-6)
2008-09	498.15	670.54	*34.61*	466.86	648.38	*38.88*	22.16
2009-10	822.77	742.87	*-9.71*	716.61	604.23	*-15.68*	138.64
2010-11	816.29	832.53	*1.99*	777.57	809.53	*4.11*	23.00
2011-12	957.34	1016.73	*6.20*	812.80	887.90	*9.24*	128.83
योग	**3094.55**	**3262.67**		**2773.84**	**2950.04**		**312.63**

(स्रोतः ओ.एफ.बी. द्वारा प्रस्तुत बजट उपयोग का विवरण)

जैसा कि विदित है कि, व्यय, आय से अधिक हुआ तथा ओ.ई.एफ.जी. को भरपाई करने के लिए भारत की समेकित निधि की सहायता प्रति वर्ष लेनी पड़ी, जिसका 2008-12 तक कुल योग ₹312.63 करोड़ है।

[2] आयुध फैक्ट्रियों द्वारा संगणित लाभ/ हानि